न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 14/2026

01. बिषनाराम मेघवाल पुत्र आषुराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 7 राणासर हंसावतान तहसील व जिला बीकानेर .....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम से चक 39 केजेडी मु0नं0 28/62 के किला नं0 6, 14 ता 25 में कुल 3.1612 हैक्टर कमाण्ड आवंटनषुदा कृषि भूमि है। मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन करते समय रानासर की जगह राजासर दर्ज हो गया जबकि मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता रानासर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर है। मुझ प्रार्थी के पिता के समस्त दस्तावेजों खातेदारी सनद, आवंटन आदेष, राषनकार्ड, आधारकार्ड में स्थाई पता रानासर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर लिखा गया है जो काबिले दुरूस्ती है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता रानासर की जगह राजासर दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को विरासतन नामान्तरण दर्ज करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे मुझ प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है जिसका आंकलन रूपयों से नहीं किया जा सकता है। जिस मैं प्रार्थी जरिये प्रार्थनापत्र दुरूस्ती करवाना चाहता हूं जोकि अधीनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेषकर निवेदन है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर की जगह रानासर कर दुरूस्त किया जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में राषनकार्ड, आधारकार्ड, खातेदारी सनद, आवंटन आदेष, मृत्यु प्रमाणपत्र, जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की जिसमें स्थाई पता रानासर की अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 39 केजेडी मु0नं0 28/62 के किला नं0 6, 14 ता 25 में कुल 3.1612 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर की जगह रानासर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच में के प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)